ई0 पत्रावली संख्या–50334 / 2023

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 10 मई, 2023**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य सैक्टर पोषित बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी (लघु निर्माण) मद के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1705 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / नि0अनु0 / पी0–27(राज्य सेक्टर), दिनांक 31.03.2023 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी लघु निर्माण मद के अन्तर्गत **संलग्न विवरणानुसार** 02 योजनाओं की प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल धनराशि रू0 39.03 लाख (रूपये उन्तालिस लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित धनराशि अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जाय।

(iii) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना / विभाग से वित्त पोषित / स्वीकृत न हो। अन्य योजना / विभाग से वित्त पोषित / स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जाए।

(v) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(vi) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vii) कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाय। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 10/05/2023 05:25 PM

नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि से कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(x) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1) /2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक–2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–03–00–52–लघु निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक– Allotment ID

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 10-05-2023 13:20:03

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–50334/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 10/05/2023 05:25 PM

ई0 पत्रावली संख्या–50334

संलग्नक

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 स0	योजना का नाम	योजना की लागत	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पष्टा के आवासीय भूमि की बीन गदेरा से बाढ़ सुरक्षा योजना।	19.97	5.00
2	Restoration work of protection scheme of Sliding Zone near Sharda Ghat, Agency Mohalla in Srinagar Garhwal, Block Khirshu, Distt Pauri Garhwal, Uttarakhand.	19.06	5.00
	योग	**39.03**	**10.00**

(रू0 दस लाख मात्र)

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 10-05-2023 14:10:33

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 10/05/2023 05:25 PM